

मजदूर एकता लहर



हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार



ग़ंथ-37, अंक - 4

फरवरी 16-28, 2023

पाक्षिक अख़बार

कुल पृष्ठ-6

केंद्रीय बजट 2023-24 :

पूँजीपतियों को मालामाल करने के लिए मेहनतकश जनता की लूट को बढ़ाने की कवायद

हर साल की तरह, अब भी केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के समय हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूँजीपतियों की विभिन्न लॉबियां (दबाव गुट) कॉर्पोरेट टैक्स में और ज्यादा कटौती तथा सरकार से और ज्यादा रियायतों की मांग उठा रही हैं। इसके लिए वे यह तर्क पेश कर रहे हैं कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है, तो हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था के तेज़ गति से बढ़ते रहने के लिए पूँजीपतियों को अधिक "प्रोत्साहन" की आवश्यकता है।

हिन्दोस्तान को 'दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था' बनाने के नाम पर, साल-दर-साल, केंद्रीय बजट कामकाजी लोगों के जीवन स्तर पर नए-नए हमलों की घोषणा करता है। अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास का यह अर्थ बन गया है कि चंद लोगों की संपत्ति को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, मजदूरों और किसानों का शोषण और तीव्र किया जाये। साल-दर-साल, केंद्रीय बजट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के ज़रिये पूँजीपतियों की दौलत को बढ़ाने के लिए लोगों को लूटता आ रहा है।

केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान, इजारेदार पूँजीपतियों के निर्देश पर विभिन्न 'कर सुधार' किए हैं, यह दावा करते हुए कि इनसे कीमतें कम हो जायेंगी, अधिक नौकरियां पैदा होंगी और इस तरह लोगों का भला होगा। लेकिन, इनमें से प्रत्येक 'सुधार' का परिणाम वास्तव में मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकशों को लूटकर, इजारेदार पूँजीपतियों को और मोटा करना ही रहा है।

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को पेश करते समय, उसे सबसे बड़ा 'कर सुधार' बताया गया था। यह दावा किया गया था कि यह कई करों और उनके व्यापक प्रभाव को समाप्त करके कीमतों में कमी लाएगा। परन्तु, जुलाई में जी.एस.टी. के लागू होते ही, अधिकांश सेवाओं की कीमतों में तुरंत वृद्धि हो गयी क्योंकि जी.एस.टी. के पहले जो सेवा कर हुआ करता था, उसकी दर 15 प्रतिशत थी, जबकि उसके मुकाबले अधिकांश सेवाओं के लिए जी.एस.टी. की दर 18 प्रतिशत तय कर दी गई।

पांच साल बाद, यह स्पष्ट है कि जी.एस.टी. के ज़रिये, कीमतों को कम करने

और कामकाजी लोगों पर कर का बोझ कम करने के बजाय उनसे और अधिक करों का भुगतान करवाया जा रहा है।

वर्ष	जी.एस.टी. संग्रह (करोड़ रुपये में)
2018-19	11,77,370
2019-20	12,22,117
2020-21	11,36,803
2021-22	14,83,200

अप्रैल-नवंबर 2022 में जी.एस.टी. संग्रह, 2021 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक था। इस आधार पर 2022-23 में जी.एस.टी. संग्रह लगभग 18,00,000 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार, जी.एस.टी. के लागू होने के पांच साल बाद मजदूर वर्ग और किसानों से जी.एस.टी. के ज़रिए 6 लाख करोड़ रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं।

जहां मजदूर वर्ग और किसानों पर कर का बोझ बढ़ाया जा रहा है, वहीं कॉर्पोरेट घरानों पर कर का बोझ कम किया जा रहा है। 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट कर की

दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की थी, साथ ही 2020-21 से नए निगमों के लिए कर की दर 15 प्रतिशत और कम कर दी गई थी। कॉर्पोरेट करों को कम करने की घोषणा के समय, यह दावा किया गया था कि यह पूँजीपतियों को अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस तरह अधिक रोज़गार पैदा होगा।

सरकारी खर्च और धन उपयोग के अनुमानों पर संसदीय समिति (पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट्स) के अनुसार, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी से पूँजीपतियों को दो सालों, 2019-20 और 2020-21, में 1.84 लाख करोड़ रुपयों का अतिरिक्त मुनाफ़ा हुआ है, अतः सरकार को उतना ही राजस्व का नुक़सान।

कर कटौती के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट मुनाफ़ा और शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। पूँजीपतियों ने उत्पादन के नए साधन बनाने में पूँजी निवेश की दर में कोई वृद्धि नहीं की है। बड़े पूँजीपतियों ने अपने

शेष पृष्ठ 4 पर

निजीकरण पर सार्वजनिक चर्चा :

पूँजीवादी लालच बनाम समाज की ज़रूरतें

मजदूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने 5 फरवरी को नई दिल्ली में निजीकरण पर एक सार्वजनिक चर्चा का आयोजन किया। चर्चा का विषय था "पूँजीवादी लालच बनाम समाज की ज़रूरतें"।

सभागृह की दीवारों को बैनरों से सजाया गया था। बैनरों पर लिखे नारे थे - "निजीकरण के साथ समझौता नहीं!", "देश की दौलत पैदा करने वालों को देश का मालिक बनना होगा!", "मजदूर किसान का है यह नारा, सारा हिन्दोस्तान हमारा!", "दुनिया के मजदूरों, एक हो!"

ट्रेड यूनियनों, मजदूर संगठनों, किसान संगठनों, मानव अधिकार संगठनों के कार्यकर्ता तथा महिलायें और नौजवान बड़ी संख्या में शामिल हुये और सक्रियता से चर्चा में भाग लिया।

मीटिंग का संचालन एम.ई.सी. के संतोष कुमार ने किया। उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक में हिस्सा ले रहे सभी लोगों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में हम सभी मजदूरों को,



अपने ट्रेड यूनियन और राजनीतिक संबंधों को दरकिनार करके, एकजुट होते हुये देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों के मजदूरों को एक सांझा मंच पर लाना है, ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद उन्होंने एम.ई.सी. के बिरजू नायक को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया।

बिरजू नायक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस देश के प्राकृतिक

संसाधनों के साथ-साथ, लोगों के श्रम से बनाई गई संपत्ति पर हम सभी का अधिकार है। इसलिये हमें यह मंजूर नहीं है कि लोगों को इनसे वंचित करते हुए, इनका दोहन पूँजीपतियों को खुद को समृद्ध करने के लिए किया जाये।

उन्होंने 23 साल पहले मॉडर्न फूड्स इंडिया लिमिटेड (एम.एफ.आई.एल.) के निजीकरण के खिलाफ एम.ई.सी. के नेतृत्व में हुये बहादुर संघर्ष को याद किया। यह संघर्ष किया गया था, केंद्र सरकार

की मालिकी वाली एम.एफ.आई.एल. को बहुराष्ट्रीय निजी कंपनी, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एच.एल.एल.), को बेचे जाने के खिलाफ। वाजपेयी की राजग सरकार ने उस समय एम.एफ.आई.एल. और भारत एल्युमीनियम कंपनी (बाल्को) को बेचने के अपने फ़ैसले की घोषणा की थी। बिरजू नायक ने समझाया कि वह संघर्ष बहुत कठिन परिस्थितियों में किया गया था, क्योंकि उस समय की अधिकांश प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने शासक वर्ग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था, कि "निजीकरण का कोई विकल्प नहीं है"। ये ट्रेड यूनियनों

शेष पृष्ठ 4 पर

अंदर पढ़ें

- सर्वव्यापी पेंशन के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए 2
- सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की हालतें सुनिश्चित करो 3
- ब्रिटेन में मजदूरों की व्यापक हड़ताल 5
- "अब बस करो बहुत हो गया!" - ब्रिटेन के मजदूरों ने कहा 5

सर्वव्यापी पेंशन के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.), जो सरकारी कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोपी गयी थी, सरकारी कर्मचारी देशभर में उसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एन.पी.एस. को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) को वापस लाने की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों की एक फेडरेशन ने ओ.पी.एस. को बहाल करने के लिए कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि एन.पी.एस. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वृद्धावस्था के लिए एक त्रासदी है।

एन.पी.एस. को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 22 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित किया गया था और 1 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने के लिये भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। अगले दस वर्षों में, अधिकांश राज्य सरकारों ने एन.पी.एस. को लागू करने की घोषणा की है और उसे अपनाया है। हालांकि, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की मांगों के चलते पिछले एक साल में ओ.पी.एस. को फिर से लागू कर दिया है।

एन.पी.एस. का विरोध अब बढ़ रहा है क्योंकि हजारों सरकारी कर्मचारी जो 2004 में या उसके तुरंत बाद नौकरी में शामिल हुए थे, अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें अपनी मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। एन.पी.एस. के तहत मिलने वाली अल्प मासिक पेंशन को लेकर वे काफी नाराज़ हैं।

जैसा कि यहां दी गई तालिका से पता चलता है, एन.पी.एस. एक परिभाषित लाभ योजना नहीं है। इसका मतलब है कि कर्मचारी को उसके पिछले वेतन के एक निश्चित अनुपात में पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलने वाली मासिक पेंशन सट्टा-बाज़ार की अटकलों पर निर्भर है। ओ.पी.एस. में मुद्रास्फीति से होने वाली मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान भी था, परन्तु एन.पी.एस. में

ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। एन.पी.एस. न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी भी नहीं देती। इसके विपरीत, ओ.पी.एस. में 9,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी थी।

शेयर बाज़ार में निवेश के कारण एन.पी.एस. पर अधिक लाभ मिलने के सभी दावों के बावजूद, लोगों का अनुभव यह रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को इस नयी

लिए कर्षों में हर तरह की रियायतें और प्रोत्साहन देती रहे।

दूसरा दृष्टिकोण मज़दूर वर्ग का है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह उन सभी लोगों को पेंशन की एक निश्चित राशि का भुगतान करे, जो दशकों तक काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और काम करने की हालत में नहीं रहते हैं। कर्मचारी ओ.पी.

नहीं होता। यह पूरी तरह से एक कर्मचारी के वेतन से लिया जाएगा और वित्तीय सट्टेबाज़ों के लिए मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य रूप से शेयर बाज़ार में निवेश किया जाएगा।

मज़दूर अपने काम के वर्षों के दौरान समाज की प्रगति के लिए अपने श्रम के ज़रिये योगदान करते हैं। इसलिये समाज का यह कर्तव्य है कि उनकी वृद्धावस्था में या किसी दुर्घटना के कारण जब उनको चोट लग जाये और वे काम करने में असमर्थ हो जायें, तब उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाए। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों के श्रम से निकाले गए बेशी मूल्य का एक हिस्सा वापस लिया जाए और मज़दूरों की पेंशन निधि में डाला जाए। यह मज़दूरों के वेतन से काटी जाने वाली राशि (उनके अपने योगदान) के अलावा अलग राशि होनी चाहिए। जिन मज़दूरों के पास निश्चित नियोक्ता नहीं हैं, जैसे कि निर्माण मज़दूर, उनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन के लिए पेंशन फंड बनाने की ज़िम्मेदारी राज्य को लेनी चाहिए। किसी भी हालत में कर्मचारियों के पेंशन फंड को सट्टा-बाज़ारों में निवेश नहीं किया जाना चाहिए।

परिभाषित लाभ की सर्वव्यापी पेंशन योजना के लिए संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए संघर्ष का हिस्सा है जो मेहनतकशों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होगा, न कि पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए। ऐसे समाज में, राज्य प्रत्येक वयस्क को आजीविका प्रदान करने, रोज़गार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके जीवन के काम के वर्षों के दौरान सम्मानजनक जीवनयापन के लिए उपयुक्त मज़दूरी सुनिश्चित करने और प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक परिभाषित और नियमित पेंशन की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध होगा। ऐसे समाज के निर्माण के लिए सभी मज़दूर मेहनतकश लोगों को संगठित होकर संघर्ष करना होगा।

<http://hindi.cgpi.org/23083>

मज़दूर अपने काम के वर्षों के दौरान समाज की प्रगति के लिए अपने श्रम के ज़रिये योगदान करते हैं। इसलिये समाज का यह कर्तव्य है कि उनकी वृद्धावस्था में या किसी दुर्घटना के कारण जब उनको चोट लग जाये और वे काम करने में असमर्थ हो जायें, तब उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाए।

स्कीम में, ओ.पी.एस. की तुलना में बहुत कम मासिक पेंशन प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो 30,500 रुपये के मूल वेतन पर सेवानिवृत्त हुआ, उसे एन.पी.एस. के तहत मासिक पेंशन के रूप में केवल 2,417 रुपये प्राप्त हुए, जबकि ओ.पी.एस. के तहत उसे 15,250 रुपये की पेंशन मिलती थी। इसी तरह, कई सरकारी कर्मचारी जिन्हें 15 साल की सेवा के बाद ओ.पी.एस. के तहत प्रति माह 20,000 रुपये के करीब मिलते थे, अब प्रति माह सिर्फ 2500 रुपये से कुछ ही अधिक राशि की पेंशन मिल रही है।

आज एन.पी.एस. बनाम ओ.पी.एस. की अच्छाई और बुराईयों पर गहरी बहस चल रही है। यह बहस दो विरोधी दृष्टिकोणों के बीच टकराव को दर्शाती है।

एक दृष्टिकोण पूंजीपति वर्ग का है जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के रूप में देखता है। यह पेंशनरों को एक परजीवी के रूप में देखता है और इस हकीकत से इनकार करता है कि उन्होंने अपने कामकाजी जीवन के दौरान समाज की संपत्ति बनाने में योगदान दिया है। साथ ही, पूंजीपति यह भी मांग करते हैं कि सरकार सार्वजनिक खजाने से पूंजीपतियों को अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के

एन.पी.एस. की वापसी की मांग, इस आधार पर कर रहे हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को एक सुनिश्चित पेंशन पाने का मूलभूत अधिकार है, जिसे उसके सेवानिवृत्त होने के समय के वेतन के एक निश्चित अनुपात (जैसे कि 50 प्रतिशत) के रूप में परिभाषित किया गया है।

इस समय हिन्दोस्तान में, निजी उद्यमों के मज़दूर किसी भी वैधानिक पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। केवल सरकारी कर्मचारी वैधानिक पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि सभी मज़दूरों में से केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही, वैधानिक रूप से पेंशन पाने का हकदार है। हमारे देश में मेहनतकश लोगों का बड़ा हिस्सा, जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियोजित नहीं किया गया है, वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा का पात्र नहीं है।

सरकार का दावा है कि एन.पी.एस. के माध्यम से पेंशन को सर्वव्यापी बनाना उसका लक्ष्य है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी एन.पी.एस. का हिस्सा हो सकते हैं। यह प्रचार मज़दूरों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के मालिकों को मज़दूरों की पेंशन निधि में कुछ भी योगदान नहीं करना होता है। इसमें सरकार का भी कोई योगदान

एन.पी.एस. और ओ.पी.एस. के प्रावधानों की तुलना

प्रावधान	एन.पी.एस.	ओ.पी.एस.
योजना (स्कीम)	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए 2004 में और अन्य के लिए, मई 2009 में शुरू की गयी।	केंद्र सरकार के लिए, इस पेंशन योजना का संचालन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग करता है।
इस योजना को कौन चुन सकता है?	1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है। निजी कंपनियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) के स्थान पर एन.पी.एस. देने की पेशकश करने का विकल्प है। कर्मचारी यदि चाहते हैं तो वे ई.पी.एफ. से एन.पी.एस. योजना में बदल सकते हैं।	1 जनवरी, 2004 के बाद अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।
ये किस प्रकार की पेंशन है?	योगदान परिभाषित है लेकिन लाभ परिभाषित नहीं। योजना के अनुसार न्यूनतम पेंशन की गारंटी का कोई प्रावधान नहीं है।	कर्मचारी योगदान नहीं है; लाभ परिभाषित है—अंतिम अर्जित वेतन का 50 प्रतिशत; न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह की गारंटी है।
योगदान	सरकारी कर्मचारी मूल वेतन व डी.ए. के जोड़ का 10 प्रतिशत योगदान देता है और सरकार समान राशि का योगदान करती है। सरकार का योगदान 1 अप्रैल, 2019 से अब 14 प्रतिशत हो गया है।	कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं
पेंशन निधि	एकत्र की गई कुल राशि नामित पेंशन फंड प्रबंधकों को वितरित की जाती है जो इसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्कुरिटीज़ की मिश्रित स्कीम में निवेश करते हैं। निवेश से मिलने वाले लाभ से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद की आय निर्धारित होगी। निवेश पर लाभ की कोई गारंटी नहीं है। यदि शेयर बाज़ार में कोई संकट आता है तो निवेश की गयी पूरी रकम नष्ट होने की संभावना भी हमेशा रहती है।	भारत सरकार की संचित निधि से इसका भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के कुल 1,03,21,000 करोड़ रुपये (2020-21 बजट अनुमान) के कुल वार्षिक सरकारी संवितरण में से 2,32,000 करोड़ रुपये की पेंशन आती है।

राज्य को सभी मजदूरों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की हालतें सुनिश्चित करनी चाहिए

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की हालतों पर श्रम संहिता (ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड) उन चार श्रम संहिताओं में से एक है, जिसे सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर संसद में पारित किया था। लेकिन उसका असली मकसद है पूंजीपतियों के लिए अपने धंधे को चलाना और आसान बनाने की गारंटी देना। संसद द्वारा, इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया और 28 सितंबर, 2020 को एक कानून के रूप में लागू कर दिया गया था। मजदूर वर्ग के लिए इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मजदूरों के संगठनों से कोई बातचीत और सलाह नहीं की गयी। मजदूरों और उनके संगठनों द्वारा कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम की हालतों पर बार-बार उठाई गई चिंताओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर खुल्लम-खुल्ला हमला है। सभी ट्रेड यूनियनों और हर क्षेत्र के मजदूरों के संगठनों ने इसकी खूब निंदा की है। मजदूर, इस मजदूर-विरोधी कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि राज्य सभी मजदूरों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ काम करने की हालतें सुनिश्चित करे।

मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की हालतें, हमेशा से हमारे देश के मजदूर वर्ग आंदोलन की एक प्रमुख मांग रही है। बीते कई दशकों से संघर्ष करके, मजदूर वर्ग पूंजीवादी हुकूमत की सरकारों को, ऐसे कानूनों को बनाने के लिए मजबूर करने में सफल हुआ था, जो मजदूरों के कुछ हिस्सों के लिए काम करने की हालतों में कुछ सुधार प्रदान करने में सक्षम थे। ये क्षेत्र विशिष्ट कानून, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, खदानों में काम करने वाले मजदूरों, पत्रकारों और समाचार पत्र उद्योग में काम करने वाले अन्य लोगों, बंदरगाह व गोदी मजदूरों, बीड़ी व निर्माण मजदूरों, आदि से संबंधित हैं।

इन कानूनों के बावजूद, अधिकांश मजदूरों को जिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वे अभी भी भयानक हैं। काम के दौरान हर साल दसों-हजारों की संख्या में मजदूरों की जान चली जाती है और लाखों की संख्या में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कारखानों और गोदामों में आग लगना, भूमिगत खदानों का धंसना, जिनमें मजदूर फंस जाते हैं, भट्टियों में विस्फोट, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों की मौत, काम के दौरान ट्रैकमैनो की मौतें, सीवर की सफाई के दौरान मजदूरों की मौतें, आदि हमारे देश में हर रोज की घटनाएं हैं। मशीनों के फेल हो जाने से और उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण काम करने वाले जिन मजदूरों को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण वे फिर से काम करने के लायक भी नहीं रहते, उन्हें इस दर्दनाक दशा में बिना किसी मुआवजे के नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या के कोई आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि लाखों

अपंजीकृत कारखानों, कार्यालयों, दुकानों और निर्माण स्थलों में काम करने वाले मजदूरों को जिन हालतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, हमारे देश की सरकार उन पर निगरानी रखने की कोई प्रवाह नहीं करती है।

यह सुनिश्चित करना मुश्किल नहीं है कि मजदूरों के लिए सुरक्षित काम करने की हालतें बनायी जाएं। हिन्दोस्तानी राज्य ने कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए सुरक्षित काम की हालतों को सुनिश्चित करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह इसे पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफों को सुनिश्चित करने के रास्ते में एक रोड़ा मानता है।

कार्यस्थल पर मरने वालों के अलावा, कई मजदूर, कार्यस्थल पर काम करने के दौरान ही, कई जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी समय से पहले मृत्यु भी हो जाती है। कार्यस्थल में इस प्रकार के खतरों से होने वाले दर्दनाक नतीजे अक्सर कई वर्षों बाद ही दिखाई देते हैं, जिससे मजदूरों के लिए उनका कारण साबित करना या किसी प्रकार के मुआवजे का दावा करना भी मुश्किल हो जाता है। हिन्दोस्तान की सरकार कार्यस्थल पर होने वाली बीमारियों के कारण मरने वाले मजदूरों की संख्या का कोई रिकार्ड नहीं रखती है।

स्वस्थ और सुरक्षित काम करने की परिस्थितियां, मजदूरों का एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित

नहीं है। ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड के पारित होने से इस हकीकत की फिर से पुष्टि होती है।

मजदूर वर्ग यह मांग करता रहा है कि सभी कार्यस्थलों पर सभी मजदूरों के लिए सुरक्षित काम की हालतों को सुनिश्चित

करने के लिए राज्य कुछ ठोस कदम उठाए। इसके विपरीत, ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड अधिकांश मजदूरों को इन कानूनों के दायरे से बाहर कर देता है।

इस नए कानून के तहत, दस से कम मजदूरों को रोजगार देने वाले संस्थानों और 20 से कम मजदूरों को रोजगार देने वाले कारखानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। जो ठेकेदार 50 से कम मजदूरों को नौकरी पर रखते हैं, उनको ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नौकरी पर रखे गए मजदूरों की संख्या का रिकार्ड तक रखने की ज़रूरत नहीं है। पूंजीवादी मालिक अपने कारखानों को कई ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों का इस्तेमाल करके चला सकते हैं और इस प्रकार यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अधिकांश मजदूर इस अधिनियम के दायरे

ट्रेड यूनियन और अन्य मजदूर संगठन ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी तरह जायज़ है। हमें अपने संघर्ष को और तेज़ करना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरेक मजदूर को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की हालतों की गारंटी देने वाले कानून हों और उन्हें लागू करने के तंत्र भी हों। अपने अधिकारों की हिफाज़त के लिए पूंजीवादी हुकूमत की जगह पर मजदूरों-किसानों की हुकूमत स्थापित करने के राजनीतिक उद्देश्य से हमें अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा।

करना राज्य का फर्ज है। लेकिन हकीकत तो यह है कि मजदूरों के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए इस अधिकार की हिफाज़त की कोई गारंटी नहीं है। यह इस आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था और इस शोषण की व्यवस्था की हिफाज़त करने वाले राज्य के वर्ग चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

यह सुनिश्चित करना मुश्किल नहीं है कि मजदूरों के लिए सुरक्षित काम करने की हालतें बनायी जाएं। हिन्दोस्तानी राज्य ने कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए सुरक्षित काम की हालतों को सुनिश्चित करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह इसे पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफों को सुनिश्चित करने के रास्ते में एक रोड़ा मानता है। आज़ादी मिलने के बाद से सत्ता में आयी सभी सरकारों ने मजदूरों के हित में काम करने के केवल झूठे वादे ही किये हैं, लेकिन मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाये हैं। मोदी सरकार भी इस मामले में भिन्न

में आते ही नहीं हैं। आई.टी. क्षेत्र के मजदूर, जिनको मजदूर कहने की बजाय, प्रबंधकों (मैनेजर्स) और पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर्स) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और गिग वर्कर्स, जैसे कि डिलीवरी वर्कर्स और टैक्सी ड्राइवर्स, इन सब मजदूरों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। कृषि मजदूर भी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

मौजूदा श्रम कानूनों के साथ हुये अपने अनुभव के आधार पर मजदूर मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसी ठोस व्यवस्था बनाई जाये जिसके ज़रिये पूंजीपतियों को कार्यस्थल में उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने को मजबूर किया जा सके। परन्तु ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून के तहत ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन, सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वाले कार्यस्थलों के निरीक्षण की मांग नहीं कर सकते हैं। जिन मजदूरों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में

शिकायत है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शिकायतें सीधे अपने मालिक के पास ही दर्ज कराएं।

मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं प्रमाणित करें कि वे अपने कारोबार में सुरक्षा उपायों को लागू कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत, अधिकांश कारखानों में सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए निरीक्षकों को नहीं भेजेगी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कारखानों के कंप्यूटर डेटाबेस से रैंडम आधार पर चुने गए कुछ कारखानों में ही सरकार चेकिंग के लिए निरीक्षक सह-सुविधाकर्ता भेजेगी। यदि किसी कारखाने में, अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा उपायों को ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, तो सरकारी निरीक्षक सह-सुविधाकर्ता वहां के मालिक को सुझाव देगा कि उपाय के रूप में क्या किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना केवल 2 लाख रुपये है।

मजदूर वर्ग कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण की मांग करता रहा है। ट्रेड यूनियनों और महिला संगठनों की मांग रही है कि महिलाओं को रात की पाली में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जहां महिलाएं रात की पाली में काम करती हैं, जैसे कि अस्पतालों और एयरलाइंस में, वहां के मालिकों को कार्यस्थल पर और अपने घर से कार्यस्थल के बीच आने-जाने में उनकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम कामकाजी महिलाओं पर एक बड़ा हमला है। यह कामकाजी महिला की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है, न तो कार्यस्थल पर, न ही काम पर आने और जाने के रास्ते में। यह 'स्वेच्छा' के नाम पर, महिलाओं के लिए, रात की पाली में काम करने को वैध बनाता है। ज़रा सोचिये, नौकरी के लिए विवश, एक महिला या लड़की, रात की ड्यूटी को क्या 'स्वेच्छा' से मना कर सकती है, जब उसकी आजीविका इस नौकरी पर निर्भर है?

पूरे देश में कोविड लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे करोड़ों प्रवासी मजदूरों की भयानक दुर्दशा देखने के बाद, ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम पारित किया गया था। भूख और भुखमरी का सामना करते हुए, मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांवों में अपने घर पहुंचे। सरकार ने दावा किया था कि वह उन्हीं शहरों और राज्यों में प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी, जहां वे काम करते हैं। ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम स्पष्ट दर्शाता है कि यह भी एक छलावा है। अधिनियम के तहत, प्रवासी मजदूरों के लिए निर्धारित कल्याणकारी उपाय तभी लागू होते हैं जब कोई उद्यम कम से कम 10 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देता है। अधिकांश प्रवासी मजदूरों को निर्माण स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा नौकरी पर रखा जाता है। एक ठेकेदार जो 50 मजदूरों तक को नौकरी पर रखता है, उसे ओ.एच.एस.डब्ल्यू

पूँजीवादी लालच बनाम समाज की जरूरतें

पृष्ठ 1 का शेष

कर्मचारियों को वी.आर.एस. का पैसा लेकर नौकरी छोड़ने की सलाह दे रही थीं।

बिरजू नायक ने विस्तार से बताया कि कैसे एम.एफ.आई.एल. और बाल्को के मजदूरों के संघर्ष से मजबूर होकर वाजपेयी सरकार ने अक्टूबर 2002 में प्रधानमंत्री की एक विशेष समिति गठित की थी, जिसे इन कंपनियों के निजीकरण के परिणामों की जांच करने के लिए बनाया गया था। एम.ई.सी. और एम.एफ.आई.एल. की यूनियन ने इस समिति के सामने अनेक दस्तावेज़ सबूत बतौर पेश किये, कि कैसे एच.एल.एल. प्रबंधन प्लांट और मशीनरी को नष्ट कर रहा था। उप-ठेकेदारी का सहारा ले रहा था, नियमित मजदूरों के स्थान पर ठेका मजदूरों का इस्तेमाल कर रहा था और सभी श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एच.एल.एल. के प्रबंधन की रुचि केवल मॉडर्न ब्रेड के ब्रांड के नाम में और उसकी बहुमूल्य अचल संपत्ति में थी।

जब समिति ने सितंबर 2004 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, तब एम.एफ.आई.एल. के कर्मचारियों ने यह मांग की कि रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाये और उस पर चर्चा की जाए। लेकिन, तब तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार सत्ता में आ चुकी थी और उसने इस मांग को पूरा करने से इंकार कर दिया। इसके बजाये, संप्रग सरकार ने उन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, निजीकरण का एक अलग रास्ता अपनाया।

बिरजू नायक ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ हो रहे संघर्ष ने बार-बार दिखाया है कि सरमायदारों के निजीकरण के एजेंडे के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे इसे किसी भी रूप से या किसी भी नाम से लागू किया जा रहा हो।

उन्होंने कहा कि उस समय से अब तक सत्ता में आई हर सरकार ने निजीकरण के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाया है। रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बिजली वितरण, दूरसंचार और यहां तक कि रक्षा उत्पादन जैसे "रणनीतिक" क्षेत्र, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सामाजिक सेवाओं को भी निजीकरण के लिए कई वर्षों पहले खोल दिया गया था। निजीकरण के खिलाफ मजदूर वर्ग का संघर्ष भी बढ़ रहा

है। मजदूर ज़ोर देकर कह रहे हैं कि इन सेवाओं को निजी पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफ़े बनाने के इरादे के साथ नहीं चलाया जा सकता है और न ही चलाया जाना चाहिए।

बिरजू नायक ने अनेक उदाहरण देकर बताया कि प्रत्येक सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों व कानूनों के पीछे के इरादे, हमेशा ही सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करने के रहे हैं। 1950 से 1970 के दशक में, सरकारी भारी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों के निर्माण और विस्तार की नीति



ने औद्योगीकरण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, पूंजीवाद के लिए घरेलू बाजार का विस्तार करने और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी देने का काम किया था। 1980 के दशक के बाद से इजारेदारों के मुनाफ़े को अधिकतम बनाने के लिये निजीकरण और उदारीकरण के जरिये वैश्वीकरण के एजेंडे को लागू किया जा रहा है।

शासक वर्ग इस भ्रम को कायम रखता है कि लोग चुनावों के जरिये अपनी पसंद की सरकार बनाते हैं और उसकी नीतियों का निर्धारण करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इजारेदार पूंजीवादी घराने उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए हजारों-करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, जो जनता को सबसे प्रभावी ढंग से मूर्ख बनाते हुए, पूंजीपतियों के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू कर सकती है। हमारे देश के अधिकांश लोगों के पास फ़ैसले लेने, नीतियों को प्रभावित करने या कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है।

मजदूर वर्ग को निजीकरण के खिलाफ़ चलाये जा रहे संघर्ष को इस उद्देश्य से आगे बढ़ाना होगा कि समाज की विशाल बहुसंख्या की जरूरतों पर निजी पूंजीवादी

लालच के वर्चस्व को खत्म किया जाये। मजदूर वर्ग का कार्यक्रम है एक ऐसे नए समाज के लिए संघर्ष करना, जिस समाज में मजदूर, किसान और सभी मेहनतकश लोग फ़ैसले लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की पूरी व्यवस्था को समाज की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाना होगा, न कि पूंजीवादी लालच को पूरा करने की दिशा में।

अगली वक्ता सेवा से लता थीं। उन्होंने उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया जिनमें निजीकरण हो रहा है। इनमें स्वास्थ्य सेवा

सी. को धन्यवाद दिया और मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने निजीकरण के खिलाफ़ एकजुट और दृढ़ संघर्ष करने का आह्वान किया।

अगले वक्ता, यू.टी.यू.सी. के नाज़िम हुसैन ने बताया कि कैसे सार्वजनिक उपकरणों को जानबूझकर लूटा गया और व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया है तथा उनके निजीकरण को सही ठहराने के लिए घाटे में डाल दिया गया है। उन्होंने दूरसंचार, रेलवे और अन्य क्षेत्रों का उदाहरण दिया, जहां ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन निजीकरण के खिलाफ़ मजदूरों के संघर्ष को एकीकृत नेतृत्व और स्पष्ट दिशा नहीं दे पाया है। उन्होंने एम.ई.सी. को धन्यवाद दिया और मीटिंग में भाग ले रहे युवाओं से संघर्ष को आगे बढ़ाने की अपील की।

कई सहभागियों ने वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से बात रखी।

सहभागियों ने "कुशलता" की पूंजीवादी परिभाषा पर सवाल उठाया, जिसके बहाने बड़ी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां लाखों मजदूरों को उनकी नौकरी से निकाले जाने को सही ठहरा रही हैं। उन्होंने बताया कि यह केवल पूंजीपतियों की अपनी संपत्ति बढ़ाने में कुशलता है, लेकिन यह समाज के लिए पूरी तरह से अकुशल है, क्योंकि यह उत्पादक आबादी के एक बड़े हिस्से को बेरोज़गार बनाती है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि समाज की प्रगति के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण की वजह से ये सेवाएं अधिकांश मेहनतकश लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। यह एक तरफ तो बड़ी आबादी को और अधिक गरीबी की ओर ले जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ़ मुट्ठीभर बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों को शानदार समृद्धि की ओर ले जा रहा है।

चर्चा का समापन करते हुए, संतोष कुमार ने ज़ोर देकर कहा कि हमारे संघर्ष का तात्कालिक उद्देश्य निजीकरण के समाज-विरोधी एजेंडे को रोकना है। उन्होंने कहा कि हमें पूंजीवादी लालच को खत्म करने और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। <http://hindi.cgpi.org/23090>

केंद्रीय बजट 2023-24 :

पृष्ठ 1 का शेष

अधिक मुनाफ़े का इस्तेमाल दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए किया है ताकि इजारेदारी बढ़ायी जा सके। बेरोज़गारी पहले की ही तरह, ऊंचे स्तर पर बनी रही है।

जब सरकार लोगों के लिए किसी चीज़ को सस्ता करने के लिए पैसा खर्च करती है, तो इसे सब्सिडी या 'रेवडी' कहा जाता है। परन्तु, पूंजीवादी मुनाफ़े को बढ़ावा देने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, उसे 'प्रोत्साहन' कहा जाता है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) योजना 2021-22 में 14 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इन क्षेत्रों की पूंजीवादी कंपनियों को एक आधार वर्ष से शुरू करके, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। अगले पांच

वर्षों में इस तरह के तथाकथित प्रोत्साहनों के माध्यम से पूंजीपतियों को 2 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। सैकड़ों हिन्दोस्तानी और विदेशी कंपनियों ने इस तरह के प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया है, जिसमें एप्पल और सैमसंग जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इजारेदार कंपनियां भी शामिल हैं।

पूंजीपति अब और अधिक वस्तुओं, यहां तक कि खिलौनों और साइकिलों तक के लिए पी.एल.आई. के विस्तार की मांग कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि बजट में पी.एल.आई. के लिए प्रावधान काफी हद तक बढ़ाया जाए।

हर पूंजीपति अपने उत्पादन को हमेशा अधिकतम करने की कोशिश करता है, अगर वह अपने उत्पादन को बेचकर मुनाफ़ा कमा सकता है। ऐसा करने के लिए उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए पी.एल.आई. और कुछ नहीं है,

बल्कि लोगों का पैसा पूंजीपतियों को सौंपने का एक और तरीका है।

उपरोक्त प्रोत्साहनों के अलावा, सरकार ने देश के अन्दर जगह-जगह पर सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की एक और विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, फ़ैक्ट्री की आधी लागत सरकार से मिलेगी।

निजी पूंजीवादी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन को लूटकर उन्हें सौंपने का एक सबसे बड़ा तरीका है सरकारी बैंकों से पूंजीपतियों द्वारा लिए गए और न चुकाए गए कर्जों को माफ़ कर देना। सिर्फ़ पिछले 5 वर्षों में 10.71 लाख करोड़ रुपये के बैंक कर्जों को इस तरह माफ़ किया गया है।

जैसे-जैसे 1 फरवरी नजदीक आयी है, पूंजीपतियों के मीडिया द्वारा बजट को

लेकर बहुत उत्साह फैलाया गया है। इस बात पर बहस की जाती है कि बजट किसान समर्थक होगा, मजदूर समर्थक या पूंजीपति समर्थक होगा। इस तरह की बहसों का उद्देश्य इस सच्चाई को छुपाना है कि बड़े पूंजीपति ही सरकार की नीतियों का एजेंडा तय कर रहे हैं। चाहे भाजपा या कांग्रेस पार्टी या पूंजीपतियों की कोई अन्य पार्टी सरकार में हो, सरकार आवश्यक रूप से इजारेदार घरानों की अगुवाई में पूंजीपतियों के हितों की सेवा करेगी। हमारा ऐतिहासिक अनुभव यही दर्शाता है।

पिछले वर्षों की तरह, 2023-24 का बजट भी अधिकांश मेहनतकश लोगों को लूटकर, सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफ़ों की लालच को पूरा करने की दिशा में चलायी जाने वाली अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। <http://hindi.cgpi.org/23063>

ब्रिटेन में मजदूरों की व्यापक हड़ताल

स्कूल और विश्वविद्यालय के लगभग 50 हजार शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, कई सार्वजनिक सेवाओं के मजदूरों, रेल मजदूरों आदि ने 1 फरवरी, 2023 को पूरे ब्रिटेन में, आपसी समन्वय के साथ, एक विशाल हड़ताल अभियान आयोजित किया।

मजदूर बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए, अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मजदूरों की यूनियनों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है, यह दावा करते हुए कि सरकार के पास और अधिक वेतन वृद्धि करने के लिये "धन नहीं है"।

खासतौर पर मजदूर 'मिनिमम सर्विस लेवल बिल' का विरोध कर रहे हैं, जो एक हड़ताल-विरोधी कानून है। इसे सरकार द्वारा हाल ही में पेश किया गया है। इस कानून ने नर्सों, चिकित्सा सहायकों, दमकल कर्मचारियों, रेल मजदूरों और शिक्षकों, जिन्हें सरकार "फ्रंटलाइन" कार्यकर्ता घोषित करती रही है, के लिए हड़ताल के अधिकार को गैर-कानूनी बना दिया है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ने को दृढ़संकल्प हैं। वे अधिकारियों द्वारा मजदूरों के साथ गुलामों के जैसे किये

जा रहे बर्ताव को सहन करने को तैयार नहीं हैं।

फरवरी के पूरे महीने में हड़ताल की योजना बनाई गई है।

सरकारी मंत्रालयों, ड्राइविंग परीक्षण केंद्रों, संग्रहालयों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के लगभग 1,00,000 सार्वजनिक सेवा के मजदूरों ने 1 फरवरी, 2023 को 24 घंटे का प्रदर्शन किया। इसमें 150 विश्वविद्यालयों के लगभग 70,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल थे। रेलगाड़ियों के चालकों ने 1 और 3 फरवरी

को काम बंद कर दिया था, जिससे एक दर्जन से अधिक रेलवे लाइनों पर सेवाएं ठप्प हो गई थीं।

फरवरी में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की घोषणा करने वाले अन्य मजदूरों में नर्स, चिकित्सा सहायक, आपातकालीन देखभाल सहायक, कॉल हैंडलर, एम्बुलेंस मजदूर, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य स्वास्थ्य मजदूर शामिल हैं। वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में भी मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

<http://hindi.cgpi.org/23100>



“अब बस करो बहुत हो गया!” – ब्रिटेन के मजदूरों ने कहा

जीने लायक वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने व्यापक हड़ताल की

7 फरवरी, 2023 को इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट-ब्रिटेन) और ग़दर इंटरनेशनल द्वारा जारी किये गये बयान को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

1 फरवरी, 2023 को विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संबद्ध लगभग पांच लाख मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की। उनकी मुख्य मांगों में शामिल हैं वेतन में वृद्धि और काम करने की बेहतर परिस्थितियां। वे नए 'मिनिमम सर्विस लेवल बिल' का विरोध कर रहे हैं। यह विधेयक संसद में पारित होने वाला है। इस विधेयक के अनुसार, यदि एक मजदूर, जिसने हड़ताल पर जाने के लिए मतदान किया हो और वह हड़ताल में शामिल होता है, परन्तु कंपनी प्रबंधन द्वारा उसे काम पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है तो उसका हड़ताल में शामिल होना अवैध माना जाएगा।

देशभर के कई शहरों और कस्बों में बड़ी-बड़ी रैलियां और प्रदर्शन हुए हैं। जनता को हुई परेशानियों के लिए, हड़ताल पर गए मजदूरों के खिलाफ जनमत बनाने के लिये सरकार और मीडिया द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद छात्रों, पेशानोगियों और बच्चों के अभिभावकों सहित सभी तबकों के लोगों सहित सार्वजनिक परिवहन का उपयोग

करने वाले लोगों ने हड़ताल का समर्थन किया। मेहनतकश लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पूंजीपतियों की सरकार ही उनकी मुश्किलों के लिए जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, सीमा बलों व सुरक्षा कर्मचारियों और लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया है। नर्स, दमकल कर्मी, चिकित्सा सहायक और एंबुलेंस कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए।

जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता, तब तक मजदूर अपने संघर्ष को और तेज़ करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। फरवरी तथा मार्च के महीनों में भी कई और दिनों के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है।

2021 की शुरुआत से पूरे ब्रिटेन में जीवन यापन के लिए होने वाला ज़रूरी खर्चा लगातार बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अक्टूबर 2022 में पिछले 41 सालों में सबसे उच्च स्तर, यानी 11.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक, घरेलू गैस की कीमतों में 129 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घरेलू बिजली की कीमतों में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

देश में महंगाई बढ़ने के लिए सरकार और मीडिया यूक्रेन के युद्ध को दोष दे रहे

हैं। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में महंगाई की दर उतनी नहीं बढ़ी है। वैसे भी, यूक्रेन में युद्ध मजदूरों के कारण नहीं हुआ था। यह युद्ध, बर्तानवी और अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उनके नाटो सहयोगियों द्वारा उकसाया गया था। हथियारों के उद्योग से जुड़ी इजारेदार कंपनियां हथियार बेचकर भारी मुनाफा कमा रही हैं और ढांचागत विकास की कंपनियां यूक्रेन में बर्बाद हो चुके बुनियादी ढांचे के निर्माण के ठेके हासिल करके भारी मुनाफा कमाने के इंतज़ार में हैं। इसकी कीमत जनता क्यों भुगतें?

जबकि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों के वेतनों को सीमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शेल जैसी ऊर्जा कंपनियों के भारी मुनाफे को सीमित नहीं कर रही है, जिसने पिछले वित्त वर्ष में 3,220 करोड़ पाउंड्स (32.2 बिलियन पाउंड्स) का मुनाफा कमाया है। घरों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां भी जमकर मुनाफा कमा रही हैं।

कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, इसलिए शिक्षा, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक आवास, सामुदायिक देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं (एन.एच.एस.), बेरोज़गारी-भत्ता, आदि पर होने वाले खर्च में वे कटौती कर रहे हैं। समाज की सारी संपत्ति मजदूरों द्वारा ही बनाई गई है। वर्तमान व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती

है कि यह धन दौलत मेहनतकश लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बजाय, पहले से ही अमीर शोषकों की जेब को और अधिक भर दिया जाये।

जीवन यापन के संकट के लिए किसे दोषी ठहराया जाए और इसका हल क्या है? ट्रेड यूनियनों और वामपंथी राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं और अगले संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी को सत्ता में लाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक अनुभव से स्पष्ट पता चलता है कि लेबर पार्टी अमीरों की अन्य राजनीतिक पार्टियों से कुछ अलग नहीं है, जहां तक इस मुद्दे का सवाल है कि संसद किसके हित में काम करेगी।

मजदूर वर्ग के लिए एकमात्र रास्ता है, पूंजीवादी व्यवस्था से छुटकारा पाना और राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेना। केवल मजदूर वर्ग ही उन कानूनों को बना सकता है और लागू कर सकता है जो पूरे समाज के लिए सुख-समृद्धि लाएंगे।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन और ग़दर इंटरनेशनल, मजदूरों की जायज़ मांगों का पूरा समर्थन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए उनके जुझारू संघर्ष की सराहना करते हैं।

<http://hindi.cgpi.org/23102>



To

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई-392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक-मधुसूदन कस्तूरी, ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020 email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911



WhatsApp
9868811998

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई-392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2, नई दिल्ली 110020

फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने की सरकार की योजना का मज़दूरों ने विरोध किया

पूरे फ्रांस में लाखों मज़दूरों ने एक ही महीने में दूसरी बार, 31 जनवरी को विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित कीं। मज़दूरों का यह विरोध सरकार के नए विधेयक खिलाफ था जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इससे पहले 19

जनवरी को दस लाख से अधिक मज़दूरों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लिया था। जिसमें नए विधेयक को रद्द करने और सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष ही रखने की मांग की गई थी।

हड़ताल के कारण रिफाइनरी, डिलीवरी, सार्वजनिक परिवहन और

स्कूलों में काम प्रभावित हुआ। सूचना मिली है कि अकेले पेरिस में ही लगभग पांच लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

फ्रांस की सरकार ने मज़दूरों के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। सरकार का दावा

है कि 62 वर्ष की आयु के बाद मज़दूरों को पेंशन का भुगतान करना "वित्तीय रूप से अव्यवहारिक है"। फ्रांस के मज़दूरों ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है और अपने धरने प्रदर्शनों से साहसपूर्वक इसे चुनौती दे रहे हैं।

<http://hindi.cgpi.org/23096>



राज्य को सभी मज़दूरों के लिए ...

पृष्ठ 3 का शेष

अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने तक की आवश्यकता भी नहीं है।

ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदा नियम, अधिनियम के मज़दूर-विरोधी चरित्र को और भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, ये नियम कार्यस्थल पर काम करने के घंटों की अवधि को 10 घंटे 30 मिनट से बढ़ाकर 12 घंटे कर देते हैं। घंटों का विस्तार उस समय के बीच की अवधि को दर्शाता है जब मज़दूर काम पर रिपोर्ट करते हैं और उस समय जब मज़दूर अंत में दिन के लिए कार्यस्थल छोड़ देते हैं। हकीकत में यह काम के दिन की लंबाई को बढ़ाकर 12 घंटे कर देता है। यह पूंजीपतियों को 'ऑफ टाइम' के दौरान भी मज़दूरों को और कुछ काम करने के लिए मजबूर करके, मज़दूरों के शोषण को तेज़ करने में सक्षम करेगा।

ओ.एच.एस.डब्ल्यू अधिनियम इतना लंबा और जटिल है कि आम मज़दूरों के लिए इसके प्रावधानों को समझना बहुत मुश्किल होगा। केवल एक प्रशिक्षित वकील ही, जो एक वाक्य में एक बात का वादा करने और उसके अगले वाक्य में उसी बात को नकारने की कला में निपुण हो वही इस अधिनियम के नियमों और प्रावधानों को समझ सकता है। अधिनियम में कार्यस्थल पर मज़दूरों के अधिकारों की एक स्पष्ट और सरल सूची नहीं पेश करता है, जिससे हमारे देश के प्रत्येक कार्यस्थल पर काम करने वाले, हरेक मज़दूर को अपने अधिकारों के बारे में भली-भांति जानकारी हो सके। श्रम कानूनों की संख्या कम करने के नाम पर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों से संबंधित 13 मौजूदा कानूनों को अब खत्म कर दिया है। ऐसा करके सरकार ने जानबूझकर उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को हटा दिया है, जिन्हें उन क्षेत्रों के मज़दूरों ने लंबा संघर्ष करके, अपने क्षेत्र से संबंधित कानूनों में शामिल करवाया था।

ट्रेड यूनियन और अन्य मज़दूर संगठन ओ.एच.एस.डब्ल्यू कोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी तरह जायज़ मांग है।

हमें अपने संघर्ष को और तेज़ करना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरेक मज़दूर को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की हालतों की गारंटी देने वाले कानून हों और उन्हें लागू करने के तंत्र भी हों। यह संघर्ष, अर्थव्यवस्था के मौजूदा पूंजी-केंद्रित दिशा को मानव-केंद्रित दिशा में बदलने के संघर्ष का हिस्सा है। जब तक पूंजीपति वर्ग के

पास राजनीतिक सत्ता है, वह मज़दूरों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए इस सत्ता का इस्तेमाल करेगा। इसलिए, अपने अधिकारों की हिफाज़त के लिए हमें अपने संघर्ष को पूंजीवादी हुकूमत की जगह पर मज़दूरों-किसानों की हुकूमत स्थापित करने के राजनीतिक उद्देश्य से आगे बढ़ाना होगा। जब मज़दूर वर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता होगी, तब मज़दूर वर्ग, पूंजीवादी लालच की बजाय मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने में सक्षम होगा।

<http://hindi.cgpi.org/23087>

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम वयूआर कोड स्कैन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम-लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी

खाता संख्या-20066800626,

ब्रांच नं.-00974, IFSCCode: MAHB0000974, मो.-9810167911

वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com

